

सूक्ष्म धान (अविकसित धान) के निपटान हेतु बोली सूचना

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1861 के तहत पंजीकृत सोसायटी है जिसकी स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है, जो बीईडीएफ में विभिन्न बासमती किस्मों के लगभग 373.43 क्विंटल सूक्ष्म धान (अविकसित धान) के निपटान हेतु बोलियां आमंत्रित करती है और लैब सह कार्यालय परिसर बीईडीएफ, रुड़की रोड, मेरठ में संग्रहित है। सूक्ष्म धान (अविकसित धान) के नमूने कार्यालय समय के दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच देखे जा सकते हैं।

बोली "जो है - जैसी है" के आधार पर होगी। लदान/परिवहन एवं कोई अन्य व्यय (यदि अपेक्षित हो) बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल बोलीदाता को धान सौंपने की तिथि से सात दिनों के भीतर धान एकत्र करना होगा। बोली के साथ केनरा बैंक , पल्लवपुरम, मेरठ में देय "बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान" के पक्ष में बयाना जमाराशि के रूप में 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रदान करना होगा। बोली आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक "1" में दिए गए प्रारूप का उपयोग किया जाएगा।

मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव संयुक्त निदेशक, बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान , रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ - 250 110 (यूपी) को दिनांक 28 जुलाई, 2025, शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

निदेशक

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान

(एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)

एसवीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैम्पस,

मोदीपुरम, मेरठ 250110 (उत्तर प्रदेश)

सूक्ष्म धान (अविकसित धान) के निपटान हेतु बोली का प्रारूप (फॉर्मेट)

कंपनी/ फर्म/ व्यक्ति का नाम :

बोलीदाता का पता :

मोबाइल/ फोन नंबर :

ई-मेल :

पैन नं./आधार नं. :

प्रति क्विंटल प्रस्ताव दर (आंकड़े में) :

प्रति क्विंटल प्रस्ताव दर (शब्दों में) :

10,000/- रु. की बयाना जमाराशि का विवरण (डीडी नं. एवं तिथि):

उक्त दरें "जो है - जैसी है" के आधार पर हैं।

घोषणा

लदान/परिवहन एवं कोई अन्य व्यय (यदि अपेक्षित हो) मेरे (बोलीदाता) द्वारा वहन किया जाएगा। मेरी बोली की स्वीकृति के मामले में, मैं बोली की तारीख से सात दिनों के भीतर धान एकत्र कर लूंगा/लूंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर / मुहर

दिनांक

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।